

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -121/2024

अनवान :

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. अजय टाण्डी पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अमर टाण्डी पुत्र सुमन कुमार जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रामधारी पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. शर्मिला पत्नी सुमन कुमार जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा


53 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद वर्मा :-वादी

2 अधिवक्ता श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 29/11/24




आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर प्रसाद वर्मा व हितेन्द्र मोहन सारस्वत वकील प्रतिवादीगण के अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी को चक नं0 10 जीजीआर ष0न0 195/283 मु0 17 किलानं0 15/1/.228, 15/2/.025 है0 खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है0 खाला, 25/1/.228, 25/2/.025 है0 खाला कुल 0.759 है0 मय गै0मु0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की भूमि का खाता प्रतिवादीगण से अलग तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व शेष खाता बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सहाय्य निरीक्षण n.k.s.)
सहाय्यक अधिकारी (सजस्य)
एवं सहाय्यक कलक्टर
दिल्ली